

पत्र संख्या- 6 एस०एस०(6)19/2017-20/03/01/18


बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

शुद्धि पत्र

विभागीय कार्यालय आदेश-4167, दिनांक-29.12.2017 के क्रमांक-3 के प्रति माह मानदेय कॉलम में रुपये 65000/- (पैसठ हजार) के स्थान पर रुपये 60000/- (साठ हजार) पढ़ा जाय। शेष यथावत रहेंगे।


2. इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय।



(वीरेन्द्र कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)19/2017-20 /पटना-15,दिनांक-03/01/2018.


प्रतिलिपि:- क्रमांक-1 से 12 के कर्मियों/पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)19/2017-20 /पटना-15,दिनांक-03/01/2018.


प्रतिलिपि:- परियोजना निदेशक, बि०आ०पु०पु०सो०, बिहार, पटना/ विकास आयुक्त, बिहार/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)19/2017-20 /पटना-15,दिनांक-03/01/2018.


प्रतिलिपि:- श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्री अमिताभ सिंह उपाधीक्षक, पशुगणना-सह-नोडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन/गव्य/मत्स्य/बिहार, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)19/2017-20 /पटना-15,दिनांक-03/01/2018.

प्रतिलिपि:- टी०एम०आई० सर्विसेज प्रा० लि० सिकन्द्राबाद, हैदराबाद/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव